A/C

Notice under section 143(2) of the Income-tax Act, 1961

PAN: AERPK6958C

JA777812968IN

Name: RAJESH KUMAR JAYANTILAL KADAKIA

Address: 5-2-223 GOKUL, 3RD FLOOR , OPP ANDHRA BANK DISTILLERY ROAD SECUNDERABAD 500003 , Telangana

DIN: ITBA/AST/S/143(2)/2021-22/1033802663(1)

Date: 29/06/2021

Assessment Year: 2020-21

Financial Year: 2019-20

आपको यह संचार क्यों मिल रहा है?
Why are you getting this communication?

प्रिय करदाता,
Dear Taxpayer,

आयकर विभाग आपके द्वारा निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 14/12/2020 को पावती संख्या 815576431141220 के तहत आयकर विवरणी दाखिल करने पर, देश के विकास में आपके योगदान की सराहना करता है।

The Income Tax Department appreciates your contribution towards development of the Nation by filing of your return of income for the Assessment Year 2020-21 vide Ack. no. 815576431141220 on 14/12/2020.

विवरणिका को तैयार करने में आपकी सावधानी को स्वीकार करते हुए, कुछ मुद्दों पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जिनके कारण आपकी आय विवरणिका को सीमित संवीक्षा(जाँच) के लिए चुना गया है।

While acknowledging the care you may have taken in preparing the return of income, there are certain issues, on which further clarification is required, therefore, return of income has been selected for **Limited scrutiny**.

किन मुद्दों पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?
What is/are the Issue(s) on which further clarification is required?

S No	Issue
i.	Deductions from Income from Other Sources
ii.	Income from Other Sources

यद्यपि यह एक सीमित संवीक्षा है, निर्धारण प्रक्रिया के दौरान इन मुद्दों से संबन्धित और प्रश्न या विस्तृत प्रश्नावली सूचित की जा सकती हैं। Even though it is a limited scrutiny, further queries or detailed questionnaire pertaining to these issue(s) will be intimated during the course of scrutiny proceedings.

आपको क्या करने की आवश्यकता है?
What you need to do?

आप ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने खाते केमाध्यम से 'ई–प्रोसीडिंग्स' की सुविधा का उपयोग करके, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से **15(पन्द्रह)** दिनों केभीतर अपनी सुविधानुसार –

(i) कोई भी साक्ष्य जिस पर आप अपनी आयकर विवरणी केसमर्थन में निर्भर करते हैं।
(ii) उपरोक्त मुद्दे/मुद्दों पर आपका उत्तर।

प्रस्तुत कर सकते हैं या करवा सकते हैं।

You may submit or cause to submit:

(i) Any evidence on which you may rely in support of your return of income;
(ii) Reply to the above-mentioned issue(s);
electronically in 'e-Proceedings' facility through your account in e-Filing website (www.incometax.gov.in) at your convenience **within 15 (fifteen) days from the date of receipt of the notice.**

चूंकि यह एक सीमित संवीक्षा कार्यवाही है, आपको उपरोक्त संदर्भित मुद्दों से संबन्धित सारी जानकारियाँ, दस्तावेज, साक्ष्य इत्यादि एकत्र करने की सलाह दी जाती है। विस्तृत प्रश्नावली या संचार, निर्धारण प्रक्रिया के दौरान जारी किया जा सकता है। जब भी आपको प्रश्नावली या संचार जारी किया जाता है, आपको निर्दिष्ट समयावधि में बिन्दुवार प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है।

Since it is a limited scrutiny proceeding, it is advised that you should gather all the information, documents, evidences, etc. related to the above referred issues. Detailed questionnaire(s) or communication may be issued during the course of assessment proceedings. As and when questionnaire(s) or communication is issued, you are required to provide specific point wise response within the time specified.

कार्यवाही का तरीका क्या होगा?
What will be the mode of proceedings?

कार्यवाही आपके ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) में खाते के माध्यम से 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। 'ई-प्रोसीडिंग्स' एवं 'पहचान विहीन निर्धारण' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपके सन्दर्भ के लिए संलगित है।

The proceedings will be conducted electronically in 'e-Proceedings' facility through your account in e-Filing website (www.incometax.gov.in). A brief note on 'e-Proceedings' and a brief note on 'Faceless Assessment' are enclosed for kind reference.

Enclosure: As Above

With Regards.

Yours faithfully,

Asstt.Commissioner of Income Tax, NaFAC-1(1)(2), Delhi

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) केअधीन विहित आयकर प्राधिकारी

Prescribed Income-tax Authority u/s 143(2) of the Income Tax Act, 1961

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishesh Prakash
Date: 2021.06.29 05:16:41 IST

सहायता कैसे प्राप्त करें? **How to Get Assistance?**
आप टोल फ्री नंबर 1800 103 4215 पर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से सांय 6:00 तक सम्पर्क कर सकते हैं। You can also call at Toll Free number 1800 103 4215 from 9:30 a.m. to 6:00 p.m. on all working days.
ध्यान रखने योग्य बातें - **Tips to Remember**
1. चूंकि संदेशों में आपके वित्तीय लेन-देन से संबन्धित व्यक्तिगत व संवेदनशील जानकारी हो सकती है, अतः आपको आयकर विभाग से सभी संचारों के लिए आपकी व्यक्तिगत/संस्थागत ई-मेल उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। You are strongly advised to use your personal/ organizational e-mail ID for all the communication with us, since the communication may contain your personal and sensitive information related to your financial transactions. 2. कृपया प्रेषक की ई मेल को श्वेत सूची या सुरक्षित प्रेषक सूची में जोड़ें अन्यथा आपका मेलबॉक्स फिल्टर आपको इस प्रेषक से ई- मेल पर अद्यतन सूचनाएं प्राप्त करने से रोक सकता है। Please add the sender e-mail to whitelist or safe sender list; else your mailbox filter may stop you from receiving updates over e-mail from this sender. 3. बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव केलिए internet explorer 11+, अद्यतन Chrome या Mozilla ब्राउसर केउपयोग की संस्तुति की जाती है। It is recommended to use internet explorer 11+, updated Chrome or Mozilla browsers for smooth user experience.

'ई-प्रोसीडिंग्स' पर टिप्पणी

'Note on 'e-Proceedings'

(अंतर्राष्ट्रीय कराधान व केन्द्रीय प्रभार केमुद्दों केलिए)

(For cases under International Taxation and Central Charges)

1. ई-गवर्नेंस पहल के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन के लिए, आयकर विभाग ने 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा विकसित की है। यह निर्धारिती व निर्धारण अधिकारी के बीच, बिना परेशानी के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आयकर कार्यलय के दौरे की आवश्यकता के बिना, निर्धारण कार्यवाही के संचालन के लिए संचार का एक सरल तरीका है। निर्धारण कार्यवाही अब कागज रहित हो गई है अतः यह नई सुविधा पर्यावरण अनुकूल भी है।

   As a part of e-governance initiative, to facilitate conduct of assessment proceedings electronically, Income-tax Department has developed the 'e-Proceedings' facility. It is a simple way of communication between the Department and assessee in a hassle-free manner, through electronic means, without the necessity to visit Income-tax Office for conduct of assessment proceedings. This new facility is also environment friendly as assessment proceedings have now become paperless.

2. 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा के माध्यम से निर्धारण कार्यवाही में, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारीतियों के ई-फाइलिंग खाते में पत्र, नोटिस, प्रश्नावली, आदेश आदि का सहज प्रवाह होता है। विभागीय संचार प्राप्त होने पर, निर्धारिती ई-फाइलिंग पोर्टल पर,अपनी प्रतिक्रिया संलग्नक के साथ, यदि कोई है,अपलोड करके प्रस्तुत करने में सक्षम है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखी जाती है। इस प्रकार, करदाता के बहुमूल्य समय को बचाने के अलावा ,' ई-प्रोसीडिंग्स' निर्धारण कार्यवाही के दौरान विभागीय प्रश्नों के जवाब 24x7 कभी भी / कहीं भी देने के लिए सुविधा भी प्रदान करता है।

   In assessment proceedings through the 'e-Proceedings' functionality, there is a seamless flow of letters, notices, questionnaires, orders etc. from Assessing Officer to assessees' e-Filing account. On receipt of Departmental communication, assessee is able to submit his response along with attachments, if any, by uploading the same on the e-Filing portal. The response submitted by the assessee is also viewed by the Assessing Officer electronically. Thus, besides saving precious time of the taxpayer, 'e-Proceedings' also provides a 24X7 anytime/anywhere convenient facility to submit response to the Departmental queries in course of assessment proceedings.

3. 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा के माध्यम से की जा रही कार्यवाही में, निर्धारिती अपने ई-फाइलिंग खाते में निर्धारण कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी ई-सबमिशन की पूरी जानकारी रखता है, जो कि संदर्भ और रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी है।

   In proceedings being carried out through the 'e-Proceedings' facility, assessee retains complete information of all e-submissions made during the course of assessment proceedings in his e-filing account, which is very useful for reference & record purposes.

4. 'ई- प्रोसीडिंग्स' के मामलों में, निम्नलिखित स्थिति(यों) में व्यक्तिगत सुनवाई / उपस्थिति हो सकती है:
   i. जहां खातों की जांच की जानी है; या
   ii. जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 का प्रावधान लागू किया गया है; या
   iii. जहां गवाह की परीक्षा निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा की जानी है; या
   iv. जहां किसी भी प्रतिकूल दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और निर्धारिती मामले को समझाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करता है।

   In cases under 'e-Proceedings', physical hearing/ attendance may take place in following situation(s):
   i. where books of accounts have to be examined; or

ii. where provision of section 131 of Income-tax Act, 1961 has been invoked; or
iii. where examination of witness is to be made by assessee or Assessing Officer; or
iv. where a show-cause notice contemplating any adverse view is issued and assessee requests for personal hearing to explain the matter.

5. जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है,नोटिस की प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, तो निर्धारिती द्वारा 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा के माध्यम से निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की जानी है।
The response to the notice, if any, is to be submitted to the Assessing Officer by the assessee through 'e-Proceedings' facility, as mentioned above.

6. ऐसे करदाता अनुकूल उपाय ने निर्धारिती के लिए अनुपालन बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है। जिन निर्धारितियों के पास अभी तक ई-फाइलिंग खाता नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ के होम पेज पर जाकर खुद को पंजीकृत करवाएं।
This taxpayer friendly measure has substantially reduced the compliance burden for assessees. The assessees who do not yet have an e-Filing account, are requested to get themselves registered by visiting the home page of website https://www.incometax.gov.in/.

******

'पहचान विहीन निर्धारण' पर टिप्पणी
Note on 'Faceless-Assessment'

(राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के अन्तर्गत मुद्दों के लिए)
(For cases under NaFAC)

1. सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई 'ई-निर्धारण योजना' की सीमा को वर्ष 2020 के दौरान 'पहचान विहीन निर्धारण योजना' के प्रमोचन के साथ और आगे विस्तारित किया गया है। 'पहचान विहीन निर्धारण योजना' ईमानदार को सम्मानित करने और देश में पारदर्शी कर व्यवस्था लाने की दिशा में एक अगला कदम है। पहचान विहीन निर्धारण योजना 2019 को 1.4.2021 से अधिनियम की धारा 144B में कराधान और अन्य कानूनों (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में शामिल किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

   The Scope of e-Assessment Scheme initiated by the Government in 2019 has been further expanded during the year 2020 with the launch of the 'Faceless Assessment Scheme'. The Faceless Assessment Scheme is a step forward towards honoring the honest and bringing in a transparent tax regime in the country. The Faceless Assessment scheme 2019 has been incorporated in the Income-tax Act, 1961(Act) vide the Taxation and Other laws (Relaxation and Amendment of certain provisions) Act, 2020 in Section 144B of the Act with effect from 1.4.2021. The salient features of the Faceless Assessment are as under:

   i. केंद्रीकृत तरीके से पहचान विहीननिर्धारण कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (रापविनिके) की स्थापना की गयी है।

      A National Faceless Assessment Centre (NaFAC) has been set up to facilitate the conduct of Faceless Assessment proceedings in a centralized manner.

   ii. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के कैडर नियंत्रण क्षेत्र में पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाही की सुविधा के लिए क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र (क्षेपविनिके) स्थापित किए गए हैं।

      Regional Faceless Assessment Centres (ReFACs) have been set-up to facilitate Faceless Assessment proceedings in the cadre controlling region of Principal Chief Commissioner of Income-tax.

   iii. इसके अलावा, पहचान विहीन निर्धारण के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न निर्धारण इकाइयाँ, सत्यापन इकाइयाँ, तकनीकी इकाइयाँ, समीक्षा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

      Further, to facilitate the conduct of Faceless Assessment, various Assessment Units, Verification Units, Technical Units, Review Units have been set up.

   iv. योजना के तहत निर्धारण करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सभी संचार एवं कार्यात्मक इकाइयों के बीच आंतरिक संचार भी, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से होगा और अनन्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

      All communication with the assessee or any other person for the purpose of making assessment under the Scheme, as also internal communication among the functional units, shall be through the NaFAC and shall be made exclusively in electronic mode.

   v. इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को रापविनिके द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा। निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरंभित एक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड उसके द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, यदि उससे नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो और किसी अन्य मामले में उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के अधीन।

An electronic record shall be authenticated by the NaFAC affixing digital signature. An electronic record originated by the assessee or any other person shall be authenticated by affixing his digital signature if he is required under the rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case, by affixing his digital signature or under electronic verification code.

vi. प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार निर्धारिती को निम्न माध्यम से दिया जाएगा –

(क) निर्धारिती के पंजीकृत खाते में उसकी एक प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराकर; या

(ख) निर्धारिती या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ईमेल पते पर उसकी एक प्रमाणित प्रति भेजकर; या

(ग) निर्धारिती के मोबाइल ऐप पर एक प्रमाणित प्रति अपलोड करके

और एक वास्तविक समय सूचना भेजकर;

Every notice or order or any other electronic communication shall be delivered to the assessee, by way of—

a. placing an authenticated copy thereof in the assessee's registered account; or
b. sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or his authorised representative; or
c. uploading an authenticated copy on the assessee's Mobile App,

and followed by a real time alert;

vii. निर्धारिती अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से किसी भी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेगा, और एक बार राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र द्वारा पावती, जिसमें प्रतिक्रिया के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हैश परिणाम है,भेजी जाती है तो प्रतिक्रिया को प्रमाणित माना जाएगा ;

The assessee shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, through his registered account, and once an acknowledgement is sent by the National Faceless Assessment Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated;

viii. किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र या किसी इकाई के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

A person shall not be required to appear before the Centre or any unit either personally or through authorized representative.

ix. यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुनवाई निम्न स्थितियों में, बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर का प्रयोग भी है, जो वीडियो टेलीफोनी का संभरक हो:

Personal hearing, if required, shall be conducted through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board, in following situation(s):

I. उस मामले में जहां मसौदा निर्धारण आदेश या अंतिम मसौदा निर्धारण आदेश या संशोधित मसौदा निर्धारण आदेश में संशोधन प्रस्तावित है और निर्धारिती को नोटिस तामील करके कारण दर्शित करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है, कि मूल्यांकन ऐसे प्रारूप या अंतिम मसौदा या संशोधित मसौदा निर्धारण आदेश के अनुसार पूर्ण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा जिससे वह इस योजना के अधीन किसी इकाई में आयकर प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक उत्तर दे सके या अपना मामला प्रस्तुत कर सकें; और इस तरह के अनुरोध को उस इकाई से संबंधित क्षेत्रीय

पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, के मुख्य आयुक्त या महा निदेशक, द्वारा इस राय के मद्देनजर अनुमोदित किया गया है, कि अनुरोध अधिनियम की धारा 144B की उप धारा 7 के खंड (xii) के उप-खंड (h) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आता है;

In a case where a variation is proposed in the draft assessment order or final draft assessment order or revised draft assessment order and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the such draft or final draft or revised draft assessment order, the assessee or his authorized representative, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority in any unit; and such request is approved by the Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional Faceless Assessment Centre, under which the concerned unit is set up, in view of the opinion that the request is covered by the circumstances referred to in sub-clause (h) of clause (xii) of sub-section 7 of Section 144B of the Act;

II. जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति (अधिनियम की धारा 133A के तहत सर्वेक्षण के दौरान दर्ज किए गए बयान के अलावा) के बयान की कोई जांच याबयान दर्ज करना आवश्यक है।

Where any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than statement recorded in the course of survey under section 133A of the Act) is required.

x. अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिनियम की धारा 144B www.incometaxindia.gov.in पर देखें।
For further details, please refer to Section 144B of the Act at www.incometaxindia.gov.in.